



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 593 राँची, रविवार, 3 कार्तिक, 1942 (श०)
25 नवम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 अक्टूबर, 2020

पत्रांक- 4/नियुक्ति-01-02/2019 का०- 5462-- अपील वाद सं० 641/2015, विवेक कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में चतुर्थ संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधियाचित निःशक्तजन की बैकलॉग रिक्ति के विरुद्ध श्री राजेश्वर पाण्डेय (अनुक्रमांक-7102888, अनारक्षित, मूक एवं बधिर) की नियुक्ति झारखण्ड प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत उप समाहर्ता के पद पर विभागीय अधिसूचना सं० 1261 दिनांक 17.02.2020 द्वारा की गई थी।

2. विभागीय अधिसूचना सं० 1261 दिनांक 17.02.2020 की कंडिका (ख) द्वारा अभ्यर्थियों को अधिसूचना निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर संस्थान में योगदान करने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त कंडिका में यह भी अंकित है कि 30 दिनों के भीतर योगदान नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

3. श्री राजेश्वर पाण्डेय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को अभ्यावेदन समर्पित कर पारिवारिक कारणों से विहित अवधि में योगदान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए चार माह का अवधि विस्तार

प्रदान करने का अनुरोध विभाग से किया गया जिसे विभाग के पत्रांक 1937 दिनांक 13.03.2020 द्वारा विचारोपरान्त अस्वीकृत कर उन्हें विहित समय सीमा के अंदर योगदान करने का निदेश दिया गया।

4. श्री पाण्डेय द्वारा विभागीय पत्रांक 1937 दिनांक 13.03.2020 द्वारा प्रदत्त विभागीय निदेश का उल्लंघन करते हुए विहित अवधि में योगदान नहीं किया गया। विभागीय पत्रांक 1937, दिनांक 13.03.2020 द्वारा योगदान अवधि विस्तारित नहीं किये जाने के 08 (आठ) माह बाद भी श्री पाण्डेय का कोई अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

5. विभागीय संकल्प संख्या 13026 दिनांक 27.11.2020 की कंडिका 3 (xiv) में अभ्यर्थी को योगदान हेतु अधिकतम एक माह का समय देने का प्रावधान है।

6. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत श्री राजेश्वर पाण्डेय (अनुक्रमांक-7102888, अनारक्षित, मूक एवं बधिर) की झारखण्ड प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत उप समाहर्ता के पद पर विभागीय अधिसूचना सं० 1261 दिनांक 17.02.2020 द्वारा की गयी नियुक्ति रद्द की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
